

राजस्व लोक अदालत केम्प कितपाला तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 43 / 2018

वादीगण :- 1 धापूदेवी पत्नि नारायण गिरी

बनाम

प्रतिवादीगण :- 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

2018/01237

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरुद्ध

आदेश

दिनांक:-7.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत कितपाला में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम कितपाला के खसरा न0 45, 37, 56, 343, 347, 380, 387, में अपीलाण्ट का पति के फौतगी नामन्तरकरण संख्या 304 दर्ज करते समय अशुद्ध नाम सुआ पत्नि नारायण गर दर्ज किया गया है। जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार धापू पत्नि नारायण गिरी है अतः अपीलाण्ट का सही नाम धापू पत्नि नारायण गिरी सही नाम दर्ज करने का निवेदन किया है।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत ब्यानकर्ता अपीलाण्ट सरपंच ग्राम पंचायत कितपाला, विरमगिरी, लक्ष्मण गिरी, प्रेमगिरी, प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड व पटवारी सिणली जागारी /आरआई तिलवाडा/उप तहसीलदार जसोल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकॉर्ड मे सुआ पत्नि नारायण गर की जगह धापू पत्नि नारायण गिरी नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार जाकर तथा नामान्तरकरण संख्या 304 अपीलाण्ट के नाम की सीमा तक आंशिक रूप से निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट का अशुद्ध नाम सुआ पत्नि नारायण गर की जगह धापू पत्नि नारायण गिरी करने के आदेश जारी दिए जाते है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट केम्प-2018

सप्लेण्ड अधिकारी एवं एड्वेन सहायक कलेक्टर

बालोतरा केम्प... 1-01-2018